आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 02.04.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- आगामी लोकसभा को देखते हुए द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए ई वी एम तैयार करने का कार्य कल किया जाएगा।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं से जागरूक मतदाता बनने की अपील की है।
- द्वीपसमूह में चुनावी पाम्प्लेट्स और पोस्टर छापते समय उस पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता अच्छी तरह से अंकित करने को कहा गया है।

<><><><><><><>

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दो हजार चौबीस की लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई है। इसके तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय क्षेत्र की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान उन्नीस अप्रैल को एक चरण में होगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने सभी सार्वजनिक कार्यालयों, स्थानीय निकायों और शैक्षिक संस्थानों के लिए मतदान के दिन उन्नीस अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उपक्रमों के लिए भी सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए ई वी एम तैयार करने का कार्य कल किया जाएगा। इस अवसर पर उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। कल दक्षिण अंडमान ज़िला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में ई वी एम का दूसरा रेन्डमाइजेशन का कार्य किया गया। निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में हुई रेन्डमाइजेशन के कार्य के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक बी.एन सिंह, ईवीएम और एमसीसी के नोडल अधिकारी विनायक छमाडिया, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस कार्य को कल अंजाम दिया गया।

द्वीपों के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक बी.एन सिंह ने कहा कि ईवीएम का रेन्डमाइजेशन का कार्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराना इस बात का प्रमाण है कि द्वीपों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सम्पन्न हो सके। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विकसित ई एम एस सॉफ्ट्वेयर में ई वी एम रेन्डमाइजेशन का कार्य किया गया। कल आठ सौ सात बैलेट यूनिट, आठ सौ सात कन्ट्रोल यूनिट और आठ सौ अड़तालीस वी वी पैट का रेन्डमाइजेशन का कार्य किया गया और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। ई वी एम का अंतिम रेन्डमाइजेशन करने से पहले इस पूरी प्रक्रिया के लिए दो ट्रायल भी किया गया, ताकि उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि को इसकी अच्छी तरीके से जानकारी हासिल हो सके। ई वी एम की सूची भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को दिखाया गया।

<><><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं से जागरूक मतदाता बनने की अपील की है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए के वाई सी ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करते समय दिए गए शपथ पत्र को भी सार्वजनिक करना होगा।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अण्डमान जिला निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने कल रंगत के सेक्टर अधिकारियों और अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ रंगत तहसील के विभिन्न मतदान केन्द्रों का दौरा कर मतदान केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने रंगत के सेक्टर अधिकारियों को सभी मतदान केन्द्रों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बूथ स्तर पर अधिकारियों को दिव्यांग ओर बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान के दिन वोट डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना हरसंभव सहयोग देने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने रंगत के मंडल पुलिस अधिकारी के साथ रंगत के प्रशासनिक ब्लॉक में स्थित स्ट्रांग रूम का भी दौरा किया।

<><><><><><><>

द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने सभी प्रिंटिंग प्रेस इकाईयों से चुनावी पाम्प्लेट्स और पोस्टर छापते समय उस पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता अच्छी तरह से अंकित करने को कहा है। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा–निर्देशों का हवाला देते हुए सभी से नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी इकाई द्वारा चुनावी पाम्प्लेट और पोस्टर तब तक नहीं छापे जा सकते, जब तक प्रकाशक की पहचान उनके हस्ताक्षर के साथ दो व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहचानने वाले लोगों के साथ प्रिंटर को इसकी प्रतिलिपि नहीं दी जाती। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से अनुरोध किया कि वे नियमों का पालन करें और चुनाव सामग्रियां के मुद्रण करते समय पूरी सावधानी बरतें। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस को सभी चुनावी पाम्प्लेट्स और पोस्टर पर प्रिंट लाईन पर प्रकाशक का नाम और पता छापने होंगे। छापे गए सामग्रियों को तीन अतिरिक्त कॉपी के साथ मुद्रण के तीन दिनों के भीतर इसे दक्षिण अंडमान के चुनाव व्यय निगरानी के नोडल अधिकारी के पास भेजना होगा। नियमों के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस रद्द करने के साथ उन पर दंडनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है।

<><><><><><><>

लोकसभा चुनाव दो हजार चौबीस के लिए डीब्रेट के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच आज और कल के अलावा पांच, नौ तथा दस अप्रैल को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

<><><><><><><>

मालवाहक जहाज एम.वी. चुगलुम पांच अप्रैल को सुबह नौ बजे हैडो जेट्टी से तेरेसा, कछाल और ननकौड़ी होते हुए कैम्पबेल बे के लिए रवाना होगा। सामान उतारने के बाद यह जहाज इसी रास्ते वापस लौटेगा। जहाज में सामानों को ले जाने के लिए आज सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक बुकिंग की जा सकती है। सामानों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल से शुरू किया जाएगा।

इस बीच जहाजरानी सेवा निदेशालय ने आम जनता से कहा है कि दो हजार चौबीस के चुनाव को देखते हुए मुख्यभूमि, अंतरद्वीपीय और फोरशोर सेक्टर के यात्रा कार्यक्रमों में फेरबदल होने की संभावना है। पर्यटकों और आम जनता को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा कार्यक्रम की उचित योजना बनाएं।

<><><><><><><>